

## उत्तराखण्ड शासन

## वित्त (वे0आ0-सा0नि0) अनुभाग-7

संख्या: 186218/XXVII(7)/E-60991/2023

देहरादून, दिनांक: 01 जनवरी, 2024

## कार्यालय ज्ञाप

राज्य सरकार के कार्मिकों के अवकाश खाते में उपार्जित अवकाश जमा करने की अधिकतम सीमा में संशोधन विषयक वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0 737/XXVII(7)/2010 दिनांक: 27.10.2010 को अधिक्रमित करते हुए राज्य सरकार के कार्मिकों को 300 दिन का उपार्जित अवकाश अर्जित किये जाने के पश्चात अनुमन्य अर्जित अवकाश का निम्नानुसार उपभोग किए जाने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है—

“राज्य सरकार के कार्मिक 300 दिन का उपार्जित अवकाश अर्जित करने के पश्चात् भी अनुवर्ती वर्ष में 01 जनवरी एवं 01 जुलाई को अर्जित क्रमशः 16 दिन और 15 दिन के उपार्जित अवकाश (कुल 31 दिन) का सम्बन्धित वर्ष में 31 दिसम्बर तक उपभोग कर सकते हैं। कलैण्डर वर्ष में कुल अनुमन्य 31 दिन के उपार्जित अवकाश का उपभोग सम्बन्धित वर्ष में न करने पर उसे अग्रेनीत नहीं किया जाएगा।”

- राजकीय कार्मिकों को अनुमन्य उपार्जित अवकाश के शेष नियम यथावत् रहेंगे। संबंधित अवकाश नियमों में आवश्यक संशोधन यथासमय पृथक से किया जायेगा।
- यह आदेश दिनांक: 01 जनवरी, 2024 से प्रभावी होंगे।

Signed by Dilip Jawalkar

Date: 31-01-2024 14:25:58

(दिलीप जावलकर)

सचिव।

संख्या: 186218/XXVII(7)/ई-60991/2024, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
- अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
- रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल, उत्तराखण्ड।
- मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
- सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड।
- समस्त आयुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
- निदेशक, कोषागार, पेंशन व हकदारी, उत्तराखण्ड, लक्ष्मी रोड, देहरादून।
- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- इरला चैक अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

Signed by Ganga Prasad

Date: 01-02-2024 10:29:59

(गंगा प्रसाद)

अपर सचिव।